E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0– 17–प्लॉटर अधिष्ठापन (सोनपुर मेला)–366/2017 4184

प्रेषक,

जे.प्रियदर्शिनी,भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

पटना, दिनांक :- 24/07/2025

विषय :– मुख्य शीर्ष– 2029–भू–राजस्व–उप मुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष 102– सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उप शीर्ष –0101– सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत ईकाई कोड– 13 01 कार्यालय व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में निधि का आवंटन।

प्रसंग :– अपर समाहर्त्ता, सारण का पत्रांक 2109/रा0 दिनांक 24.04.2025 एवं विभागीय पीत पत्र संख्या 1948 (9)/रा0 दिनांक 13.06.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2024 के राजस्व के प्रदर्शनी स्टॉल निर्माण कार्य से संबंधित विपत्र के भुगतान हेतु 10,26,200/–**(दस लाख छब्बीस हजार दो सौ)** रूपये मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है :–

क्र0सं0	**विषय शीर्ष/ईकाई कोड**	**जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा)**
1	2	3
01	13 01 कार्यालय व्यय	**10,26,200**
		(दस लाख छब्बीस हजार दो सौ रूपये मात्र)

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 12492 दिनांक 15.06.2024 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड **40 –2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।

6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नही समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

7. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

24/7

(जे.प्रियदर्शिनी)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–प्लॉटर अधिष्ठापन (सोनपुर मेला)–366/2017...4184... **पटना, दिनांक** :- 24/07/2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–प्लॉटर अधिष्ठापन (सोनपुर मेला)–366/2017...4184... **पटना, दिनांक** :- 24/07/2025

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

E:\Year 2025 Om\Kamlesh Ji\Allotment 2025-26\Plan 0101\file no 366-2017 Saran Chapra 13 01 24-07-2025 Sonpur Mela.doc

ज्ञापांक :– 17–प्लॉटर अधिष्ठापन (सोनपुर मेला)–366 / 2017....4184.... **पटना, दिनांक** :– 24/07/2025

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–प्लॉटर अधिष्ठापन (सोनपुर मेला)–366 / 2017....4184.... **पटना, दिनांक** :– 24/07/2025

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

24/7
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप